Poor response to P S 2U disinvestment

3410. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the second round of public sector disinvestment in the financial year 1994-1995 has attracted poor response;

(b) if so, what is the percentage of fall in the bids as compared to the first round of disinvestment of Public Sector Units;

(c) what are the main causes attributed to the poor response to the disinvestment of PSUs; and

(d) the manner in which Government propose to move in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) While the first round of disinvestment in Oct, 94 had attracted 3212 bids of which 514 bids (16%) had been accepted, in the 2nd round held in Jan 95, there were 556 valid bids out of which 209 (37%) had emerged successful. While Govt. mobilised a total amount of Rs. 2239 Crores in the Ist round, the mobilisation was Rs. 388 Crores (provisional) in the 2nd round. The nature of PSEs offered for disinvestment and the number of shares offered were also not uniform in both the rounds.

(d) The Government is examining a number of proposals including disinvestment through fixed price public offers during the current year.

बजट प्रस्तावों का पहले से पता लग जाना

3411. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बजट प्रस्तावों का संसद में रखे जाने से पूर्व ही पता लग रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनका समय पूर्व पता लग जाने को रोकने और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) इस संबंध में तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावों के समय पूर्व पता लग जाने को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रा परिचालन मे वृद्धि

3412. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान मुद्रा परिचालन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अलग-अलग तौर पर देश में जनसाधारण के बीच परिचालन के लिए कुल कितनी-कितनी मात्रा मे मुद्रा उपलब्ध थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान मुद्रा की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः आम परिचालन के लिए कितनी-कितनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध थी और पूर्व वर्ष की तुलना में इस राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान निरंतर होने वाली इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। जनता के पास मुद्रा की प्रमात्रा 18 मार्च 1994 को 83567 करोड़ रूपये के मुकाबले 17 मार्च 1995 को 102857 करोड़ रूपये थी।

(ग) और (घ) 15.2 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत और 20.4 प्रतिशत की क्रमशः वार्षिक अभिवृद्धि दरें दर्ज करते हुए 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के क्रमशः वित्तीय वर्षों के अन्त में जनता के पास मुद्रा की प्रमात्रा 61098 करोड़ रू0, 68273 करोड़ रू0 और 82198 करोड़ रूपये थी।

(ङ) जनता द्वारा धारित मुद्रा की प्रमात्रा में, अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार में विस्तार सहित वृद्धि हुई। यह बैंक जमाराशियों और उनके बीच व्याप्त बैंकिंग सम्बन्धी आदतों की तुलना में मुद्रा के लिए जनता के अधिमान पर भी भी निर्भर करता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के जाली शेयर प्रमाण-पत्र

3413. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जाली शेयर प्रमाण-पत्रों के परिचालन में बढ़ोतरी के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत रूप में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस सबंध मे कोई कार्यवाही नही की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा आज की तारीख में कितनी संख्या में और कितने-कितने मूल्य के शेयर और डिबेन्चर इश्यू जारी किए गए है और उनके संबंध में किए गए संव्यवहार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये सभी शेयर और डिबेंचर्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत हैं ;

(छ) सरकार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के खिलाफ निवेशकों से अब तक राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने शेयर धारकों ने इस प्रकार की शिकायतें की हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने इस सबध में कार्रवाई नहीं की है क्योंकि किसी कंपनी के जाली शेयरों के प्रचलन में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ङ) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अब तक निर्गमित शेयरों और डिबेंचरों की संख्या तथा मूल्य के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी। सरकार इन प्रतिभूतियों मे हुए लेन-देनों के ब्यौरों से सबंधित आंकड़े नहीं रखती।

(च) "सेबी" किसी कंपनी के शेयरों और डिबेचरों को पंजीकृत नहीं करती।

(छ) "सेबी" जो मुख्यतया निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, ने सूचित किया है कि वह किसी कंपनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखता। "सेबी" ने सूचित किया है कि 1-3-1993 से 15-4-1995 तक की अवधि के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 10,148 है।